विचार बिन्दु

रूप की पहुँच आँखों तक है, गुण आत्मा को जीतते हैं। –पोप

माइनिंग सेक्टर में आगे बढ़ता राजस्थान

माइनिंग सेक्टर में राजस्थान देश दुनिया का प्रमुख केन्द्र बन कर उभर रहा है। वैसे तो राजस्थान में 82 प्रकार के मिनरल के संकेत मिलते हैं वहीं 57 मिनरलों को राजस्थान में प्रमुखता से खोज और खनन का कार्य चल रहा है। अब राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट आरईई के संकेत मिलने के साथ राजस्थान तेजी से दुनिया के नक्शें पर उभरा है। राज्य सरकार ने भी माइनिंग सेक्टर को अपनी प्राथमिकता में रखा है। यही कारण है कि पिछले सवा साल में राजस्थान माइनिंग सेक्टर में नित नए आयाम स्थापित करते हुएं आगे बढ रहा है। माइनिंग सेक्टर की महती भूमिका को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खान मंत्रालय की जिम्मेदारी अपने पास रखी और कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले सवा साल में माइनिंग सेक्टर ने खनिज खोज से लेकर माइनर एवं मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन, एमनेस्टी योजना, ड्रोन सर्वे, एकबारीय समाधान योजना, नई और प्रगतिशील खनिज नीति, एम-सेण्ड नीति, माइनिंग सेक्टर में औद्योगिक निवेश और रोजगार के विपुल अवसर सृजित करने के अवसर विकसित कर दिए हैं। इसके साथ ही पारदर्शी व्यवस्था और प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाये जा रहे है। समय की मांग को देखते हुए ही आरईई और सेरेमिक आधारित एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की दिशा में आगे बढ रहे है तो खनिज एक्सप्लोरेशन को गति देने के लिए राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन के गठन की बजटीय घोषणा की गई है। राजस्थान माइनिंग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त अथक प्रयासों से धरातल पर ठोस परिणाम प्राप्त करने में जुटे हैं। यही कारण है कि राजस्थान आज देश का माइनिंग सेक्टर में प्रमुख प्रदेश बन गया है। मिनरल एक्सप्लोरेशन से लेकर माइन्स ऑक्शन के क्षेत्र में नित नए आयाम बन रहे हैं तो निवेश, रोजगार और राजस्व की दृष्टि से राजस्थान तेजी से आगे बढ रहा है। हाल ही समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में रेकार्ड राजस्व अर्जन के साथ ही राजस्व अर्जन की विकास दर में भी नया कीर्तिमान बनाया गया है। 2017 में केन्द्र सरकार ने तय किया कि देश में सभी जगह माइनिंग मिनरल्स की खुले ऑक्शन के माध्यम से ही दिए जाएंगे। इससे बहुत हद तक माइनिंग मिनरल्स की बंदर बांट पर रोक लग सकी। केन्द्र सरकार ने मेजर मिनरल्स के ऑक्शन की स्वयं के स्तर पर भी मोनेटरिंग आरंभ कर व्यवस्था को पारदर्शी और खनिज प्रधान प्रमुख राज्यों के बीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा की राह प्रशस्त की है। इसे देश के खनिज क्षेत्र का अग्रणी कदम माना जा सकता है। मेजर मिनरल के ऑक्शन में पिछले एक साल में राजस्थान ने तेजी से काम किया है और राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ठ उपलब्धि हासिल की है।

आज दुनिया के देशों की माइनिग सेक्टर पर अधिक नजर है। खासतौर से अमेरिका तो खनिज बहुल क्षेत्रों में आंखें गड़ाये ही बैठा है वह चाहे यूक्रेन हो, कनाडा हो या ग्रीन लैण्ड। तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि रुस यह चाहता है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज को लेकर कोई समझौता ना हो और इसके लिए वह अपने खनिज क्षेत्रों को लेकर अमेरिका या यों कहें कि ट्रम्प से समझौता तक करने का तैयार है।

राजस्थान खनिजों की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश हैं। राज्य सरकार ने एक बात साफ समझी है कि बेशकीमती खनिजों के अवैध खनन पर अंकुश लगाने का सबसे कारगर तरीका खनिज क्षेत्रों के ब्लॉक या प्लॉट तैयार कर इन्हें पारदर्शी तरीके से ई पोर्टल के माध्यम से नीलाम किया जाए। इससे बहुत हद तक बेशकीमती खनिजों के अवैध खनन को रोका जा सकता है।

दूसरी और चीन आज खनिज संपदा के चलते ही समूचे विश्व बाजार पर लगभग एकाधिकार की स्थिति में हैं। दरअसल जिस तरह से दुनिया में नए नए गजेट्स आने लगे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन, कार्बन उत्सर्जन के स्तर को कम करने और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले उत्पादों के कम उपयोग पर जोर दिया जाने लगा है, उसके कारण खनिज संपदा संपन्न देशों का महत्व और अधिक बढता जा रहा है। चीन के लगभग एकाधिकार के कारण दुनिया के देश त्रस्त भी है। हमारे देश और राजस्थान में भी प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है। माइनिंग सेक्टर आज उभरता हुआ सेक्टर है। निवेश, रोजगार और राजस्व की दृष्टि से खनिज संपदा का महत्व बढता जा रहा है।

यही कारण है कि भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल ब्लाकों के ऑक्शन की नीलामी अपने हाथ में ली है तो मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्य में निजी प्लेयर्स की भी भागीदारी तय की जा रही है। समूचे देश में पिछले एक दशक में मिनरल एक्सप्लोरेशन के कार्य में तेजी आई है। हमारे देश में सतत खनन विकास पर जोर दिया जाने लगा है और 2016-17 से मेजर हो या माइनर मिनरल सभी माइंस नीलाम करना अनिवार्य कर दिया गया है। बदली परिस्थितियों में यह भी साफ हो जाना चाहिए कि सरकारों की ईच्छा शक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसका ताजातरीन उदाहरण राजस्थान सरकार और राजस्थान का खान एवं भूविज्ञान मंत्रालय है। देश-दुनिया में माइनिंग सेक्टर को नई पहचान देने के कारगर प्रयास राजस्थान में भजन लाल शर्मा सरकार ने कर के दिखाया है। केवल एक साल की समयावधी में ही माइनिंग सेक्टर में राजस्थान समूचे देश में लंबी छलांग लगाने लगा है। दिसंबर, 24 में सरकार ने कार्यभार संभालते ही माइनिंग सेक्टर में सरकार ने साफ संदेश दे दिया कि खनिज बहुल क्षेत्रों की एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए डेलिनियेशन और प्लॉट व ब्लॉक तैयार करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाए और विभाग इन तैयार प्लॉटों व ब्लॉकों की नीलामी का रोडमेप बनाकर पारदर्शी ऑक्शन प्रक्रिया को अमली जामा पहुंचायें। सरकार की मंशा के अनुसार विभागीय अमला भी जुट गया और नई सरकार बनने के तीन माह में ही 15 मेजर मिनरल ब्लॉकों का भारत सरकार के पोर्टल पर ई-नीलामी की गई तो एक साल से कुछ ही अधिक समय में नई सरकार बनने के बाद के जनवरी, 25 तक 15 ब्लॉकों सहित 15 जोड़ 34 ब्लॉक कुल 49 मेजर मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी कर नया इतिहास रचा गया। राज्य सरकार की उपलब्धि को केन्द्र सरकार द्वारा भी सराहा गया और इसी 20 जनवरी, 25 को ओडिशा के कोणार्क में आयोजित नेशनल मांइस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2023-24 में देश में सर्वाधिक मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन करने पर राजस्थान को प्रथम पुरस्कार देकर राजस्थान के प्रमुख सचिव माइंस टी. रविकान्त को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है।

राजस्थान खनिजों की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश हैं। राज्य सरकार ने एक बात साफ समझी है कि बेशकीमती खनिजों के अवैध खनन पर अंकुश लगाने का सबसे कारगर तरीका खनिज क्षेत्रों के ब्लॉक या प्लॉट तैयार कर इन्हें पारदर्शी तरीके से ई पोर्टल के माध्यम से नीलाम किया जाए। इससे बहुत हद तक बेशकीमती खनिजों के अवैध खनन को रोका जा सकता है। वैध खननधारक पर भी अवैध खनन गतिविधियों के लिए अब राज्य सरकार ड्रोन से एसेसमेंट अनिवार्य करने जा रही है। इसी तरह के अन्य सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं। माइनर मिनरल और क्वारी लाइसेंसधारी खानों के माइनिंग प्लान और माइनिंग योजनाओं का ऑनलाईन अनुमोदन इस दिशा में बढ़ता नया कदम है। ऐसे में राजस्थान ही नहीं देश के खनिज प्रधान अन्य राज्यों की सरकारों को भी एग्रेसिव कदम उठाने होंगे ताकि देश की खनिज संपदा के अवैध खनन से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इसके साथ ही वैध खनन और सस्टेनेबल माइनिंग पर जोर देकर खनिज संपदा का बेहतर दोहन हो सके।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

ऑपरेशन सिंदूर : भारत के मनोवैज्ञानिक विकल्प और संभावित सफलता

अविनाश जोशी

भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं, और युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती है। पारंपरिक सैन्य टकराव के विनाशकारी परिणामों को देखते हुए, भारत संभावित संघर्ष में मनोवैज्ञानिक विकल्पों की भूमिका पर विचार कर सकता हैं। अगर हम भारत-पाक युद्ध की स्थिति में संभावित मनोवैज्ञानिक विकल्पों का विश्लेषण करे तो संभावित परिणाम ऐसे हो सकते है।

यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, तो भारत आबादी, सेना और नेतृत्व को प्रभावित करने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल कर सकता हैं। युद्ध के दौरान, सूचना एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है। दुश्मन की मनोदशा को कमजोर करने, भय और भ्रम पैदा करने, और अपने सैनिकों और नागरिकों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए गहन प्रचार अभियान चला सकते हैं। यह टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। लक्षित संदेश दुश्मन के सैनिकों को आत्म समर्पण करने या नागरिक आबादी को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। दुश्मन को गुमराह करने और अविश्वास का माहौल बनाने के लिए झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाना एक और संभावित रणनीति है। यह दुश्मन की निर्णय लेने की क्षमता को बाधित कर सकता है और उनके सैन्य अभियानों में भ्रम पैदा कर सकता है। सोशल मीडिया की व्यापक पहुंच इस तरह के अभियानों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है। विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने के लिए डिज़ाइन की गई कार्रवाइयां भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इनमें दुश्मन के ठिकानों के पास नकली हमले करना, डराने वाले संदेश प्रसारित करना, या शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक रूप से लक्षित सामग्री गिराना शामिल हो सकता है। इन अभियानों का उद्देश्य दुश्मन के सैनिकों को हतोत्साहित करना और उनके प्रतिरोध को कमजोर करना हो सकता है।

आधुनिक युद्ध में साइबर युद्ध एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है। भारत दुश्मन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लक्षित करने, सूचना प्रणालियों को हैक करने और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने के लिए साइबर हमलों का उपयोग कर सकता हैं। बिजली ग्रिड, संचार नेटवर्क और वित्तीय प्रणालियों पर साइबर हमले आबादी के बीच भय और अराजकता पैदा कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध अभियानों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और संचार विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। वे दुश्मन की कमजोरियों की पहचान करने, लक्षित संदेश तैयार करने और अभियानों के प्रभाव का आकलन करने में मदद कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थितियों में मनोवैज्ञानिक तत्वों की उपस्थिति देखी गई है। भारत द्वारा पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले, जैसे कि बालाकोट हवाई हमला, न केवल सैन्य कार्रवाई थे बल्कि पाकिस्तान को एक मजबूत मनोवैज्ञानिक संदेश भी देते थे। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी इस मनोवैज्ञानिक आयाम से प्रभावित होती है।

निष्कर्ष:– भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में, मनोवैज्ञानिक विकल्प एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पारंपरिक सैन्य कार्रवाई के पूरक या विकल्प के रूप में, मनोवैज्ञानिक युद्ध रणनीतियाँ रणनीतिक लाभ हासिल करने का एक तरीका प्रदान कर सकती हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन तकनीकों के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं और वे शत्रुता को बढ़ा सकती हैं। इसलिए, किसी भी मनोवैज्ञानिक विकल्प का उपयोग सावधानीपूर्वक और संभावित परिणामों का पूरी तरह से आकलन करने के बाद ही किया जाना चाहिए। दोनों देशों को संघर्ष को कम करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

भारत द्वारा पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित मिसाइल हमला, न केवल एक सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि इसमें महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आयाम भी निहित हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत के पास कई मनोवैज्ञानिक विकल्प उपलब्ध हैं जिनका उपयोग वह अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। भारत को यह स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना होगा कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में और आतंकवाद के खिलाफ उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता के तहत की गई थी। संदेश में यह भी स्पष्टता होनी चाहिए कि भारत का लक्ष्य पाकिस्तानी राज्य या नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि केवल आतंकवादी समूहों को निशाना बनाना है। भारत को इस ऑपरेशन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आतंकवाद के खिलाफ एक जिम्मेदार और आनुपातिक कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के सबूतों को साझा करके, भारत वैश्विक समर्थन जुटा सकता है और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी समूहों के बीच भय और अनिश्चितता पैदा करना है। भारत को इस संदेश को विभिन्न माध्यमों से लगातार प्रसारित करना चाहिए कि उनके सुरक्षित ठिकाने अब सुरक्षित नहीं हैं और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां की जा सकती हैं। भारत पाकिस्तानी जनता को यह संदेश दे सकता है कि उसका कोई शत्रुतापूर्ण इरादा नहीं है, बल्कि वह क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। यह संदेश पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ऑपरेशन के बाद सूचनाओं का प्रभावी प्रबंधन महत्वपूर्ण है। भारत को सटीक और समय पर जानकारी प्रसारित करनी होगी और पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा सकने वाले किसी भी दुष्प्रचार का मुकाबला करना होगा। भारत के संदेश की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पाकिस्तानी जनता यह मानते हैं कि भारत की कार्रवाई न्यायसंगत और आवश्यक थी, तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव अधिक होगा। चूंकि ऑपरेशन में केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था और किसी भी नागरिक या सैन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, यह भारत की जिम्मेदारी और संयम का संदेश देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन को बनाए रखने में मदद कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ एक सतत रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। भविष्य में इसी तरह की कार्रवाइयों की संभावना पाकिस्तान पर लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखेगी। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी ऑपरेशन की मनोवैज्ञानिक सफलता को प्रभावित करेगी। यदि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है या दुष्प्रचार फैलाता है, तो भारत को प्रभावी ढंग से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा।

ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पास महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विकल्प मौजूद हैं जिनका उपयोग वह अपने रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है। एक स्पष्ट और दृढ़ संदेश, अंतर्राष्ट्रीय जनमत का प्रभावी उपयोग, आतंकवादी समूहों पर लक्षित दबाव और सूचना युद्ध का कुशल प्रबंधन इस ऑपरेशन की मनोवैज्ञानिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध एक जटिल प्रक्रिया है और इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। भारत को एक सुसंगत और दीर्घकालिक रणनीति के तहत इन विकल्पों का उपयोग करना होगा ताकि वह वांछित परिणाम प्राप्त कर सके।

–अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक

उरी और पुलवामा से पहलगाम तक सिंधु नदी समझौता

रामपाल जाट

''कहु रहीम कैसे निभै, बेर केर को संग। वे डोल डोलत रस आपने, उनके फाटत अंग ॥'' रहीमदास ने सज्जन और दुर्जन के साथ-साथ रहने की तुलना केले एवं बेर से की है। यह भारत एवं पाकिस्तान के संबंध में सटीक तुलना है। केले के पत्ते हवा में झोंका लेते हैं तो पड़ोस में कांटे वाला बेर उनके पत्तों को फाड़ देता है।

अखंड भारत के खंडित होने पर स्थितियों में परिवर्तन हुआ। अखंड भारत में सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी, ब्यास नदियों का भी भारत खंडित होने पर बटवारा हो गया। इनमें से सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में 21वें स्थान पर है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग्त्जी चीन में है, उसके बाद दूसरे स्थान पर सिंधु नदी है। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत की ओर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षरों से निष्पादित हुआ था। इस समझौते के अनुसार भारत को सतलुज, ब्यास एवं रावी का पानी 14.9+14 +7, कुल 35.9 मिलियन एकड़ घन फीट तथा पाकिस्तान को सिंधु, झेलम एवं चिनाब का पानी 93+23+26= 142 कुल 142 मिलियन एकड़ घन फीट प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल उपलब्ध पानी में से पाकिस्तान को प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा भारत को प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा से चार गुना अधिक है। प्रतिशत के रूप में पाकिस्तान को 80.52 प्रतिशत तथा भारत को 19.48 प्रतिशत पानी प्राप्त हुआ।

पानी प्राप्त होने पर भारत की मिट्टी सोना उगलती है। समृद्धि की बढ़ोतरी में पानी जादू का काम करता है एवं देश की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ सोपान है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यता का संबंध सिंधु घाटी से ही है। सिंधु जल समझौते के समय इस वैचारिकता को दुर्लक्ष्य नहीं किया गया होता तो इस प्रकार का समझौता संभव नहीं था। पूर्व की ओर बहने वाली सिंधु, झेलम एवं चिनाब एवं पश्चिम की ओर बहने वाली सतलुज, रावी, ब्यास नदियों का भी देश के साथ विभाजन हो गया। पश्चिम की ओर बहने वाली सिंधु, झेलम एवं चिनाब का ऊपरी तटीय क्षेत्र भारत में तथा निचला तटीय क्षेत्र पाकिस्तान में है। ये तीनों नदियां भारत से होती हुई पाकिस्तान जाती है। इन स्थितियों में अपने हितों के अनुकूल न्यायपूर्ण समझौते की दृष्टि से भारत अच्छी स्थिति में था। उस समय भाखड़ा नांगल बांध भी नहीं बना था। ब्रिटिश काल में सिंधु, झेलम एवं चिनाब नदियों पर बांध एवं नहरी तंत्र पाकिस्तान में चला गया था। भारत सिंचाई की दृष्टि से अभाव एवं पिछड़ेपन की स्थिति में था। इस नदी तंत्र क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। जहां कृषि योग्य भूमि को सिंचाई की पाकिस्तान से अधिक आवश्यकता थी। किंतु यह विषय प्राथमिकता में नहीं होने के कारण पंजाब के कुछ क्षेत्र के अतिरिक्त सतलुज के आसपास होते हुए भी यह क्षेत्र सिंचाई से वंचित रह गया।

वर्ष 1947 में विद्यमान कृषि प्रणाली को संधि का आधार बनाया गया था। उस समय अधिकांश उन्नत कृषि का क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। संधि का आधार भौगोलिक क्षेत्रफल होता तो भारत को 82% यानी 138 मिलियन एकड़ घन फीट तथा पाकिस्तान को 18% पानी प्राप्त होता। विश्व में ऐसे भी उदाहरण हैं, जहां ऊपरी तटीय राष्ट्रों ने निचले तटीय राष्ट्रों के हितों को अनदेखा करते हुए नदियों का 90% पानी का उपयोग करने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। जिसमें अमेरिका तथा चीन प्रमुख हैं। भारत तो न्यायपूर्ण ढंग से अपने भाग का पानी लेने में पहल कर सकता था। 1947 की सिंचाई प्रणाली की तुलना में वर्तमान की सिंचाई प्रणाली में बहुत बड़ा अंतर आया है। इन परिवर्तित परिस्थितियों में इस समझोते की समीक्षा समीचीन है।

सिंधु नदी तंत्र प्रकृति का वरदान है। जिसमें संपूर्ण रूप से पानी को रोकना असंभव सा है। फिर इस पानी को रोकने के परिणामस्वरूप जम्मू कश्मीर का बड़ा भाग जलमग्न हो सकता है। उसके लिए आपात योजनाओं की आवश्यकता रहेगी दूसरी ओर पानी को मोड़ने के लिए भाखड़ा नागल एवं फिरोजपुर बैराज जैसे जल संग्रहण स्थलों का उपयोग किया जा सकता है।

भारत तो **'वसुदेव कुटुंबकम'** की भावना से ओतप्रोत होने से उदार देश है। इस उदार चरित्र की रक्षा के लिए भी पात्रता को देखना अपरिहार्य है। कुपात्र के साथ उदारता का व्यवहार मानव कल्याण को क्षित पहुंचाता है। इसीलिए **'सठे शाठयं समाचरेत की नीति'** अपनाने की आवश्यकता रहती है। 64 वर्षों में भारत ने संधि का अक्षरश: पालन किया। उसके उपरांत भी पाकिस्तान ने बगलहार एवं किशनगंगा जैसी परियोजनाओं पर आपत्ति उठाई। विशेषज्ञ तटस्थो ने उसे निरस्त करते हुए भारत को सही माना। इसमें 1986 से 1991 तक 13 चक्र वार्ता होने जैसे उपक्रमों के कारण परियोजनाओं के निर्माण में विलंब की क्षति भारत को ही सहन करनी पड़ी। पानी की कमी के कारण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में उत्पन्न विवादों का दंश भी भारत को झेलना पड़ा। विवाद निपटारे के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली में स्थाई सिंधु आयोग, तटस्थ विशेषज्ञो की नियुक्ति तथा मध्यस्थ पंचाट का पाकिस्तान द्वारा दुरुपयोग किया गया। समझौता शुरू होते ही 1965 में भारत पर युद्ध थोपा गया। चरमपंथियों के आक्रमणों के कारण राजनीतिक तनाव बना रहा। तब भी भारत की सत्य आधारित भूमिका के कारण विश्व स्तर पर भारत एवं पाकिस्तान के मध्य निष्पादित यह सबसे अधिक सफल संधि है। जिसमें तीसरा पक्ष नहीं है। समझौते के समय विश्व बैंक की उपस्थिति अवश्य थी किंतु उसकी भूमिका मध्यस्थ की नहीं थी।

उदारता सदगुण तो है किंतु अधिक उदारता सदगुण विकृति की श्रेणी में आती है। विएना कन्वेंशन के अनुच्छेद 62 के अनुसार इस संधि को निरस्त किया जा सकता है। अभी यह संधि निरस्त नहीं की गई, बल्कि निलंबित की गई है। उसके उपरांत स्थायी सिंधु आयोग को स्थगित कर संचालन को रोक दिया गया है। भारत ने इस समझौते के अनुच्छेद (3) के अनुसार दोनों देशों की सहमति के आधार पर संशोधनों के प्रयास की दिशा में वर्ष 2023 एवं 24 में चार पत्र पाकिस्तान को भेजे थे किंतु पाकिस्तान ने कोई सार्थक पहल नहीं की। इसके विपरीत पाकिस्तान के कारण 18 सितंबर 2016 को उरी में 17 हैंडग्रैनेड के द्वारा भारतीय सेना के ब्रिगेड हेड क्वार्टर के सैन्य शिविर पर चार चरमपंथियों ने आक्रमण किया, जिसमें 19 भारतीय सैनिक शहीद हुए। 14 फरवरी 2019 को जम्मू - श्रीनगर मार्ग के लेथापोरा के पास चरमपंथी वाहन सवार ने आत्मघाती आक्रमण किया, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवान शहीद हुए। 2025 की 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना तो अभी ताजा है, जिसमें अनेक मां-बहनों की सिंदूर छिन गई। भारत ने वर्ष 2016 एवं 2019 में 'खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते' उद्घोषित किया था किंतु पाकिस्तान पर जूं भी नहीं रेंगी। जिन बादलों को बरसना आता है, वे गरजते नहीं है। गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। सरकारों को बरसने का अवसर उपलब्ध रहता है, ऐसी स्थिति में उन्हें गरजने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्ष 2016 में गर्जना हुई थी कि पाकिस्तान को जा रहा पानी रोक दिया जाएगा किंतु 9 वर्ष उपरांत भी परिणाम नहीं आया। इसी प्रकार पुलवामा के समय वर्ष 2019 में भी इसी प्रकार की गर्जना हुई थी किंतु उसे भी 6 वर्ष होने पर परिणाम ढाक के तीन पात जैसा ही है। अब तीसरी बार यही गर्जना की गई है, उसका भी परिणाम नहीं आया तो अविश्वास उपजेगा जो सरकार एवं देश, किसी के लिए भी शुभ नहीं कहा जा सकता।

पहलगाम में चरमपंथियों के आक्रमण के बाद तो जन भावनाओं के अनुसार इस संधि को निरस्त करने की अपेक्षा थी। तब भी भारत ने इसे निरस्त नहीं कर निलंबित किया है। यदि यह निलंबित नहीं की जाती तो भारत सरकार जनता में अविश्वसनीय हो जाती। 'सिंदूर ऑपरेशन' ने जनता की संतुष्टि में बढ़ोतरी की है। तब भी देश को सिंधु तंत्र की नदियों का पानी प्राप्त कर न्याय पथ पर अग्रसर होना चाहिए। इसका सही समाधान तो भारत - पाक महासंघ के स्वप्न को साकार करने के लिए अखंड भारत की और चलना है।

–रामपाल जाट,
राष्ट्रीय अध्यक्ष-किसान महापंचायत

राशिफल शनिवार 10 मई, 2025

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, चित्रा नक्षत्र रात्रि 3:15 तक, सिद्धि योग रात्रि 4:01 तक, तैतिल करण सायं 5:30 तक, चन्द्रमा आज दिन 1:42 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मेष, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-कर्क, बुध-मेष, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग रात्रि 3:15 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 3:15 से सूर्योदय तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:25 से 9:05 तक, चर 12:23 से 2:02 तक, लाभ अमृत 2:02 से 5:21 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:46, सूर्यास्त 7:00

मेष
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वृष
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कन्या
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। शुभ कार्य से संबंधित यात्रा संभव है। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों पर अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने का भय है। दिन के मध्यान्ह पश्चात शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

कर्क
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। शुभ-मांगलिक कार्य से संबंधित यात्रा संभव है।

वृश्चिक
आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। संभावित धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक विवादों से राहत मिलेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात पारिवारिक यात्रा संभव है।

मीन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार जोरों पर

स्टोन क्रशरों की धमक और धूल-धुआं जीव-जंतुओं के जीवन को प्रभावित कर रही है

पाटन, (निसं)। राज्य सरकार ने दो वर्ष पूर्व सीकर जिले में बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा की थी। यह फैसला क्षेत्र की जैव विविधता, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को देखते हुए वर्षों की कोशिशों के बाद लिया गया था, लेकिन दो वर्षों के भीतर ही यह संरक्षित क्षेत्र माफियाओं की गतिविधियों का गढ़ बन गया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले सात वर्षों में इस क्षेत्र में 17 पैंथरों की मौत हुई है। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का मानना है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। अवैध खनन, स्टोन क्रशरों का बेरोकटोक संचालन और जंगलों की खुली लूट से वन्य जीवन पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर खनन माफियाओं की गतिविधियां दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं। संवेदनशील और संरक्षित घोषित क्षेत्र में भी अवैध खनन खुलेआम जारी है। स्टोन क्रशरों की धमक और धूल-धुआं ना सिर्फ जीव-जंतुओं के जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर भी घातक प्रभाव डाल